दिनांक 16.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 21/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद प्रतापगढ़/थाना लालगंज</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 12 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 15.09.2024 को थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अमावा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–अमित सहित अभियुक्त 2–सुबेदार 3–कुलदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अमित शातिर किस्म का अपराधी हैं, जो थाना लालगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अमित निवासी तिरकोनिया थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

2–सुबेदार निवासी ग्राम धारूपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

3–कुलदीप निवासी लाला का पुरवा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 12 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद सम्भल/थाना बनियाठेर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 16.09.2024 को थाना बनियाठेर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम आटा सैनिक चौराहा के पास से 04 अभियुक्तों 1–प्रदीप 2–राजेन्द्र 3–गुड्डू 4–नरेश को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.09.2024 को थाना बनियाठेर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बनियाठेर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त प्रदीप के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त गुड्डू के विरूद्ध जनपद बदायूँ, सम्भल, मुरादाबाद के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बनियाठेर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रदीप निवासी ग्राम आटा थाना बनियाठेर जनपद सम्भल।

2–राजेन्द्र निवासी ग्राम आटा थाना बनियाठेर जनपद सम्भल।

3–गुड्डू निवासी ग्राम पथरा मोड साईनाथ कॉलोनी थाना चंदौसी जनपद सम्भल।

4–नरेश निवासी रघुवीरनगर कस्बा व थाना चन्दौसी जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना राजेसुल्तानपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 15/16.09.2024 की रात्रि थाना राजेसुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बभनपुरा पुल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—दिलशाद उर्फ करिया उर्फ कोट्टा 2—सलमान उर्फ मन्नी घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3—मो0वसीम सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 पिकअप वाहन आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त दिलशाद उर्फ करिया उर्फ कोट्टा के विरूद्ध जनपद आजमगढ़, अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग, अभियुक्त सलमान उर्फ मन्नी के विरूद्ध जनपद आजमगढ़, अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना राजेसुल्तानपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दिलशाद उर्फ करिया उर्फ कोट्टा निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

2—सलमान उर्फ मन्नी निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

3—मो0वसीम निवासी मुरादाबाद जनपद रोहतास बिहार।

बरामदगी

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 पिकअप वाहन आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 15/16.09.2024 की रात्रि थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भाईपुरा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–आबिद 2–रहीस घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त आबिद के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, हापुड़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग, अभियुक्त रहीस के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर व कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आबिद निवासी यासीनगढ़ी डासना थाना वेव सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2–रहीस निवासी ग्राम राजपुर थाना सिंभावली जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद हापुड़/थाना हापुड़ देहात

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 दो पहिया वाहन**
- **08 फर्जी नम्बर प्लेट, 04 फर्जी आरसी आदि बरामद**

दिनांक 16.09.2024 को थाना हापुड़ देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुल्तानपुर अण्डरपास के पास से 04 अभियुक्तों 1–आकाश 2–गौरव 3–शिवम 4–सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 दो पहिया वाहन, 08 फर्जी नम्बर प्लेट, 04 फर्जी आरसी आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश निवासी सिसोली थाना मुडाली जनपद मेरठ।

2–गौरव निवासी तगासराय थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड।

3–शिवम निवासी ग्राम लोधीपुर थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड।

4–सोनू निवासी किलौरा थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1–चोरी की 09 दो पहिया वाहन।

2–08 फर्जी नम्बर प्लेट, 04 फर्जी आरसी आदि।

जनपद बदायूँ/थाना कोतवाली

- **अवैध शस्त्र की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 18 जीवित, 03 खोखा कारतूस 315 बोर**
- **02 लाख 900 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 15.09.2024 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहल्ला सराय नाहर खा के पास से अवैध शस्त्र की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों

1—कुलदीप 2—भूदेव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 18 जीवित, 03 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 लाख 900 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कुलदीप निवासी मोहल्ला सारय नाहर खा थाना कोतवाली जनपद बदायूँ।

2—भूदेव निवासी मोहल्ला सारय नाहर खा थाना कोतवाली जनपद बदायूँ।

बरामदगी

1—03 अवैध तमंचा 315 बोर, 18 जीवित, 03 खोखा कारतूस 315 बोर।

2—02 लाख 900 रूपये नगद आदि।

- **जनपद मुजफ्फरनगर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 06 करोड़ 81 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने अभियुक्त अजय उर्फ अजीत निवासी ग्राम जीतपुर थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 06 करोड़ 81 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद गोरखपुर/थाना गुलरिहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना गुलरिहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/323 भादवि व 18 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रोहित को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————